अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय

क्रमांक / प्रस्था / विविध / 2014 / 18834-81 जयपुर, दिनांकः- 26-12-2014

1. अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान सूचना केन्द्र दिल्ली,
2. प्रभारी सूचना केन्द्र, मुम्बई / कोलकात्ता।
3. समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय।
4. समस्त जिलाधिकारी– उप निदेशक / सहायक निदेशक / सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी।

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय

----------------।

विषयः– 1 जनवरी–2015 से शपथ पत्र देने की व्यवस्था समाप्त कर स्वः प्रमाणित दस्तावेज लगाये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मुख्य सचिव महोदय के एफ15 / (1) / एआर / जीआर–1 / 2014 दिनांक 24.11.2014 एवं यूओ नोट दिनांक 4 दिसम्बर–2014।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी सन्दर्भित आदेशों के अनुसार राज्य में 1 जनवरी–2015 से शपथ पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए स्वयं की प्रमाणित प्रतिलिपियां दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने की व्यववरथा आरम्भ की गई है। इसके तहत तब के सिवाय जब कि वैधानिक आवश्यकता ना हो, राज्य सरकार का कोई भी विभाग, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, राजकीय उपक्रम में प्रवेश के लिए, नौकरी के लिए आवेदन के साथ, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत शपथ पत्र के स्थान पर आवेदक के स्वयं की घोषणा ली जायेगी तथा ऐसे घोषणा पत्र के साथ उस व्यक्ति की फोटो भी लगाई जाने की व्यवस्था आरम्भ की गई है।

इन आदेशों का राज्य, जिला, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक व्यापक प्रचार किया जाये। साथ ही जिले में स्थापित सम्पर्क केन्द्र, ई–मित्र, कॉमन सर्विस सेन्टर, विभागीय वेबसाईट्स, कार्यालय नोटिस बोर्ड, वॉल पेन्टिंग के माध्यम से इसका व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाये। जिससे आम जन को नई व्यवरथा के बारे में समुचित जानकारी मिल सके। इन आदेशों की प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाईट www.ard.rajasthan.gov.in और राजस्थान सम्पर्क पोर्टल sampark.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

सुलभ सन्दर्भ हेतु सन्दर्भित आदेशों की फोटो प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर